75

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यालय, राँची

आदेश

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन), अधिनियम Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution Act -2003 (COTPA-2003) को राँची जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु मुख्य सचिव झारखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक–31/05/2017 में लिए गए निर्णय के आलोक में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, राँची की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति (District level Coordination Committee) एवं जिला स्तरीय विवरणी समिति (District Level Monitoring Committee) का विलय करते हुए निम्नानुसार जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC) का गठन किया जाता है।
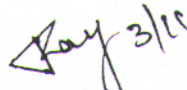
1. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, राँची – अध्यक्ष
2. वरीय पुलिस अधीक्षक राँची – सदस्य
3. उप विकास आयुक्त, राँची – सदस्य
4. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चि० पदा० राँची – सदस्य सचिव
5. अपर समाहर्त्ता सह विषेष नोडल पदा० तंबाकू नियंत्रण राँची – सदस्य सह मुख्य समन्वय
6. जिला नोडल पदा० तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राँची – सदस्य सह समन्वयक
7. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, राँची – सदस्य
8. अपर मुख्य चिकित्सा पदा०, राँची – सदस्य
9. जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची – सदस्य
10. जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, राँची – सदस्य
11. जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची – सदस्य
12. जिला कृषि पदाधिकारी, राँची – सदस्य
13. जिला खाद्य सुरक्षा पदा०, राँची – सदस्य
14. औषधि निरीक्षक, राँची – सदस्य
15. अध्यक्ष, आई०एम०ए० राँची – सदस्य
16. सचिव, भारतीय रेडक्रॉस समिति, राँची – सदस्य
17. सचिव, रोटरी क्लब, राँची – सदस्य
18. प्रतिनिधि, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सो० (सीड्स) – सदस्य
19. प्राचार्य, मारवाड़ी बालक महाविद्यालय, राँची – सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यो का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित है–

- COTPA-2003 को पूरे राँची जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने तथा मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यो का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।

➢ यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहें है तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामले में फैसला लिया गया है।

➢ तंबाकू नियंत्रण से संबंधित मामले पर निर्णय लेना प्रखण्ड स्तरीय समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।

➢ भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के उल्लंधन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य/जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।

➢ DTCCC की त्रैमासिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना।

➢ तम्बाकू और संबंध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष एवं Surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रकिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक सं0–3/NTCP दिनांक–06.01.2016 से गठित जिला स्तरीय निगरानी समति का आदेश एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

3/11

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
राँची।

ज्ञापांक 115 दिनांक 16.11.18.
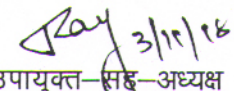
प्रतिलिपिः– प्राचार्य, मारवाड़ी बालक महाविद्यालय, राँची/प्रतिनिधि, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सो0 (सीड्स)/सचिव, रोटरी क्लब, राँची/सचिव, भारतीय रेडक्रॉस समिति, राँची/अध्यक्ष, आई0एम0ए0 राँची/औषधि निरीक्षक, राँची/जिला खाद्य सुरक्षा पदा0, राँची/जिला कृषि पदाधिकारी, राँची/जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची/जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, राँची/जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची/अपर मुख्य चिकित्सा पदा0, राँची/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, राँची/जिला नोडल पदा0 तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राँची/अपर समाहर्त्ता सह विषेष नोडल पदा0 तंबाकू नियंत्रण राँची/असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चि0 पदा0 राँची/उप विकास आयुक्त, राँची/वरीय पुलिस अधीक्षक राँची/उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– राज्य नोडल पदाधिकारी NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
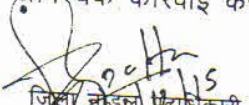
3/11/18

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
राँची।

National Tobacco Control Program

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, रॉची।

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) के प्रभावकारी अनुपालन के लिए **अपर समाहर्त्ता (विधि व्यवस्था)**, रॉची को तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम का विशेष नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) नामित किया जाता है। ये जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम का प्रभावकारी अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही रॉची जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, रॉची

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मु0चि0पदा0 सह सदस्य–सचिव रॉची

उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम रॉची

ज्ञापांक 5/NTCP /रॉची दिनांक 6/1/016

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड,रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः राज्य नोडल पदाधिकारी/राज्य परामर्शी, NTCP, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रॉची/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, रॉची/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रॉची/ जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रॉची/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/जिला सूचना एवें जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला कार्यकम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ,एन0आई0सी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यकम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तक़नीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP,रॉची

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मु0चि0पदा0 सह सदस्य–सचिव रॉची

उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम रॉची

National Tobacco Control Program

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, राँची।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 7.11.2015 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग राँची द्वारा जिला नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों को मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/–तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे–

1. अपर समाहर्त्ता विधि व्यवस्था–सह विषेष नोडल पदा० तंबाकू नियंत्रण – अध्यक्ष
2. आरक्षी उपाधीक्षक मुख्यालय – सदस्य
3. जिला परिवहन पदाधिकारी – सदस्य
4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी – सदस्य
5. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी
6. औषधि निरीक्षक – सदस्य
7. जिला शिक्षा पदाधिकारी
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति) – सदस्य
9. श्रम अधीक्षक, राँची – सदस्य
10. संबंधित थानाध्यक्ष – सदस्य
11. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) – समन्वयक

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण **इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित करेंगे।** साथ ही प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, राँची

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मु०चि०पदा० सह सदस्य–सचिव राँची (05.01.16)

उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम राँची

ज्ञापांक 2/NTCP/राँची दिनांक 6/1/016

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड,राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः राज्य नोडल पदाधिकारी/राज्य परामर्शी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, राँची / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, राँची / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राँची / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, राँची / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ, एन0आई0सी / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, राँची को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपिः श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला नोडल पदाधिकारी,
NTCP, राँची

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मु0चि0पदा0
सह सदस्य–सचिव
राँची

उपायुक्त सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
राँची

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, राँची।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनाक 07.11.2015 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग राँची द्वारा जिला नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA -2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी / गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों,स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विकय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान / जुर्माना (रूपये 200/–तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

<u>अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे–</u>

1. अनुमंडल पदाधिकारी – अध्यक्ष
2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी – सन्वयक सदस्य
3. कार्यपालक दण्डाधिकारी – सदस्य
4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी – सदस्य
5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय – सदस्य
6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष – सदस्य

संबधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारीयों की भी सेवायें ले सकेंगे।

जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP,राँची	असैनिक शल्य सह मु0चि0पदा0 सह सदस्य–सचिव राँची	उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम राँची

ज्ञापांक 8/NTCP/राँची दिनांक 6/1/016

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड,राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः निदेशक प्रमुख,स्वास्थ्य सेवाएँ,झारखण्ड,को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः राज्य नोडल पदाधिकारी / राज्य परामर्शी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल / पुलिस उप महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रॉंची/सभी अनुमंडला पदाधिकारी, रॉंची/ सभी अनुमंडला पुलिस पदाधिकारी, रॉंची/ जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रॉंची/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ,एन0आई0सी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, रॉंची को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि: श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक , Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP,रॉंची	असैनिक शल्य सह मु0चि0पदा0 सह सदस्य–सचिव रॉंची	उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम रॉंची

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, रॉची।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम के अन्तर्गत दिनांक 07.11.2015 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग रॉची द्वारा जिला नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA -2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखण्ड स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों , सरकारी / गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों,स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विकय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान / जुर्माना (रूपये 200 / –तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

<u>प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेगें–</u>

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी – अध्यक्ष
2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी – समन्वयक सदस्य
3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी – सदस्य
4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी – सदस्य
5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी – सदस्य
6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक – सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष – सदस्य

संबधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेगें। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारीयों की भी सेवायें ली जा सकेगी।

जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP,रॉची

04.01.16
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मु0चि0पदा0 सह सदस्य–सचिव रॉची

उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम रॉची

ज्ञापांक 4/NTCP / रॉची   दिनांक 6/1/016

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड,रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: राज्य नोडल पदाधिकारी / राज्य परामर्शी, NTCP, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल / पुलिस उप महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रॉची/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, रॉची/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रॉची/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रॉची/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला कार्यकम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० / डी०आई०ओ,एन०आई०सी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यकम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, रॉची को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि: श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक , Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला नोडल पदाधिकारी,
NTCP,रॉची

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मु०चि०पदा०
सह सदस्य–सचिव
रॉची

उपायुक्त सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम
रॉची

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, राँची।

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA) की धारा 4 के अन्तर्गत स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नही करेगें। लोक स्थान (Public Place) से ऐसा काई स्थान अभिप्रेत है जहॉ जनता की पहुँच हो, चाहे साधिकारी हो या न हो और इसको अन्तर्गत – लोक वाहन, बस स्टैड, रेल प्रतिक्षालय, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष प्रतिक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान्न भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/ गैर सरकारी कार्यालय, बैक परिसर, बैक के ATM , सभी सरकारी / गैर सरकारी शैक्षिणिक संस्थान, सभी सरकारी / गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/ अस्पतालय भवन, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं ऐसे सभी स्थान जहॉ आम जनता का आना जाना होता है पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है।

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (COTPA,2003) की धारा 21 के अतंर्गत दण्डनीय अपराध है, अल्लंधनकर्त्ता को रूपये 200/–तक जुर्माना किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रापराईटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी अपने स्तर से सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वारा पर, यदि एक से ज्यादा प्रवेश द्वारा हो तो ऐसे प्रत्येक प्रवेश द्वारा पर और उनके अन्दर सुस्पष्ट स्थान (स्थानों) पर नीचे दर्शाये गये बोर्ड के प्रारूप के अनुसार बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

चलान के द्वारा अधिकतम 200/–रू0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वियन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) तहत उल्लंधन करने वाले को 200/– रू0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

यह आदेश ततकाल प्रभाव से लागू होगा।

23/12/15
जिला नोडल पदाधिकारी,
NTCP,राँची
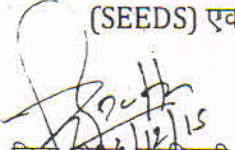
.01.16
असैनिक शल्य सह. मु0चि0पदा0
सह सदस्य–सचिव
राँची

1/1/16
उपायुक्त सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
राँची

प्रतिलिपिः सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रॉची/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, रॉची/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रॉची/ जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, रॉची/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ,एन0आई0सी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, रॉची को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपिः श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला नोडल पदाधिकारी NTCP,रॉची	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मु0चि0पदा0 सह सदस्य–सचिव रॉची	उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम रॉची

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, रॉंची।

पत्रांक 1/NTCP
दिनांक – 6/1/016

आदेश

रॉंची जिला के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार–प्रसार नर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार था वाणिज्य, उत्पादन, प्रादय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के धारा 5 (3) एवं 5 (1) के अनुसार किसी भी बाकू पदार्थो के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार धारा 5 का उल्लंघन करने र दो वर्ष का कारावास/रूपये 1000/–(रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है।

अतः सभी सबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पादन था सिगरेट, बीड़ी, पान, मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स /होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप में प्रचार--प्रसार करना बंद करें एवं रांची जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन त्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

23/12/2015 जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP,रॉंची	6.1.16 असैनिक शल्य चिकित्सक सह मु0चि0पदा0 सह सदस्य–सचिव रॉंची	6/1/16 उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम रॉंची

ज्ञापांक 1/NTCP /रॉंची दिनांक 6/1/016

तिलिपिः प्रधान सचिव,स्वा0चि0शि0 एवं प0क0विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।
तिलिपिः अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड,रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।
तिलिपिः निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
तिलिपिः राज्य नोडल पदाधिकारी/राज्य परामर्शी, NTCP, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।
तिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित।
तिलिपिः उप विकास आयुक्त, रॉंची/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, रॉंची/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला रॉंची/अधीक्षक, रिम्स, रॉंची/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रॉंची/जिला शिक्षा पदाधिकारी, रॉंची/सभी सी0डी0पी0ओ0, रॉंची/श्रम अधीक्षक, रॉंची पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), रॉंची/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण,रॉंची/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉंची एवं पुलिस अधीक्षक, रॉंची को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
तेलिपिः जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, रॉंची को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेगें।
तेलिपिः रॉंची जिला के सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/तम्बाकू उत्पाद बेचनें वाले दूकानदारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
तेलिपिः प्रशासक, रॉंची नगर निगम, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
तेलिपिः श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक , Socio Economic and Educational Development Society(SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।

23/12/2015 जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP,रॉंची	6.1.16 असैनिक शल्य चिकित्सक सह मु0चि0पदा0 सह सदस्य–सचिव रॉंची	6/1/16 उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम रॉंची

National Tobacco Control Program

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, राँची।

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) की धारा 6 (b) के अन्तर्गत किसी भी शैक्षिक संस्थान के 100 गज की दूरी के धेरे के क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने पर शख्त प्रतिबंध है और यह (COTPA-2003) की धारा 24 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंधनकर्त्ता को रूपये 200/- तक जुर्माना किया जाएगा।
शैक्षिक संस्थान का स्वामी या प्रबंधक या मामलों का प्रभारी कोई व्यक्ति परिसर से बाहर किसी सहज दृश्य स्थान पर अपने स्तर से प्रमुख रूप से नीचे दर्शाये गये प्रारूप के अनुसार बोर्ड के माध्यम से तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्थान को प्रदर्शन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

बोर्ड/दीवार लेखन का प्रारूपः-

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान
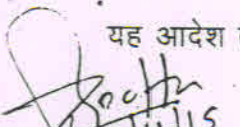
इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/-रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आदेशानुसार
शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम ....
शिक्षण संस्थान का नाम ....

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानों के प्रधानाघ्यापकों / प्रबंधक या मामलों के प्रभारी को निदेशित किया जाता है कि अपने अपने शैक्षिक संस्थान में उपरोक्त प्रारूप के अनुसार बोर्ड लगवाना सुनिश्चत करेंगे एवं 100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद की बिकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नही होने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200/-रू0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दुष्परिणामों के बारें मे जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विघालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महीने के समीक्षात्मक बैठक में इस तम्बाकू नियंत्रण के तहत की गयी कार्रवाही की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

23/12/15
जिला नोडल पदाधिकारी,
NTCP,राँची

04.01.16
असैनिक शल्य सह मु0चि0पदा0
सह सदस्य-सचिव
राँची

उपायुक्त सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
राँची

ज्ञापांक 3/NTCP/ रॉची   दिनांक 6/1/016
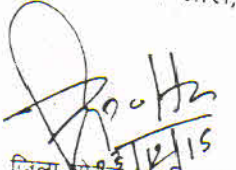
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव,स्वा0चि0शि0 एवं प0क0विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड,रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, NTCP, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक , Socio Economic and Educational Development Society(SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।

5/1/15
जिला नोडल पदाधिकारी,
NTCP,रॉंची

04.01.16
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मु0चि0पदा0
सह सदस्य–सचिव
रॉंची

उपायुक्त सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम
रॉंची